मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल, 462004

सामान्य प्रशासन विभाग (स्था.) ई-मेल
कक्ष-7 (1)
पंजी क्रमांक 2758
दिनांक 04/10/17

क्रमांक एफ 2—1 / 2008 / 1 / 13 भोपाल, दिनांक 29/9/2017

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स
मध्यप्रदेश

विषयः— लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा / डी0आई0आर0 राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्व व्यक्ति) सम्मान निधि नियम 2008 में संशोधन।

—00—

राज्य शासन द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा / डी0आई0आर0 राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्व व्यक्ति) सम्मान निधि नियम 2008 के तहत नियम 5 (1) में संशोधन कर एक माह से कम कालावधि के लिये निरूद्व रहे व्यक्तियों को रूपये 8000 /— (रूपये आठ हजार) प्रतिमाह तथा एक माह या एक माह से अधिक की कालावधि के लिये निरूद्व रहे व्यक्तियों को रूपये 25,000 /— प्रतिमाह की दर से सम्मान निधि की पात्रता नियत की गई है। नियम —15 में संशोधन कर एक माह से कम कालावधि के लिये निरूद्व व्यक्तियों को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु अवधि दिनांक 30 / 11 / 2017 तक नियत की गई है। नियम 4.1 को राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से विलोपित किया गया है । जारी किये गये संशोधन दिनांक 25 / 09 / 2017 की मध्य प्रदेश राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

(अनुराग सक्सेना)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन क्र0 एफ 2—1 / 2008 / 1 / 13 भोपाल, दिनांक /9 / 2017

प्रतिलिपिः—

उप संचालक, जनसंपर्क संचालनालय भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि संलग्न राजपत्र में उल्लेखित संशोधन को मध्यप्रदेश के सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें ।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार
दिनांक 25 / 09 / 2017 के राजपत्र की प्रति ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Joshi ji
for uploading pl
04/10/17

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 519] भोपाल, सोमवार, दिनांक 25 सितम्बर 2017—आश्विन 3, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2017

क्र. एफ–2–1–2008–एक–13.—राज्य सरकार, एतद्द्वारा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, 2008 में निम्न संशोधन करती है:—

संशोधन

1. उक्त नियमों में नियम 5 (1) के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्:—

"ऐसे व्यक्ति जो मीसा/डी.आई.आर. के अधीन राजनैतिक या सामाजिक कारणों से एक माह से कम कालावधि के लिए निरूद्ध रहे हों, उन्हें रुपये 8000/- (रुपये आठ हजार केवल) प्रतिमाह तथा ऐसे व्यक्ति जो एक माह या एक माह से अधिक की कालावधि के लिए निरूद्ध रहे हों, उन्हें रुपये 25000/- (रुपये पच्चीस हजार केवल) प्रतिमाह की दर से सम्मान निधि की पात्रता होगी.".

2. उक्त नियमों में नियम 15 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्:—

"इन नियमों के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से दिनांक 30-11-2017 तक ऐसे पात्र व्यक्ति जो मीसा/डी.आई.आर. के अधीन राजनैतिक या सामाजिक कारणों से एक माह से कम कालावधि के लिए निरूद्ध रहे हों, को आवेदन प्रस्तुत करना होगा.".

3. उक्त नियमों में नियम 4.1 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से विलोपित किया जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अतिरिक्त सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.